उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-164/2018/2838/92-2-18-30जॉच/2018

लखनऊ:: दिनांक 20 नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बलिया में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत पैकेज संख्या-1059 के अधीन हल्दी बयासी पाल्टून ब्रिज से बीयर तक मार्ग के निर्माण कार्य में बरती गयी उदासीनता लापरवाही एवं अधोमानक स्तर पर कार्य कराने तथा कार्यो में बरती गयी शिथिलता के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-73/ 2018/ 1754/92-2-18-30जांच/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा श्री अख्तर अली अंसारी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बलिया स ति प्रखण्ड-भदोही के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी /अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-वाराणसी के पत्रांक1095/ दिनांक 31-10-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में से कोई भी आरोप सिद्ध नही है। अतएव श्री अख्तर अली अंसारी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बलिया सम्प्रति प्रखण्ड- भदोही के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10.07.2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-164/2018/2838(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री अख्तर अली अंसारी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-बलिया सम्प्रति प्रखण्ड- भदोही द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in